



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57856

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7737 वर्ष 2026

सतेंद्र शर्मा और अन्य

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आफताब आलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम नारायण राय, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



2. यह जमानत अर्ज़ी अभियुक्त-आवेदकों **सत्येंद्र शर्मा और मुन्ना शर्मा** की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद अपराध संख्या 488/2025 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धारा 109(1), 191(3), 115(2), 351(3) के तहत पुलिस थाना बैरिया, ज़िला बलिया में दर्ज है।

3. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, छह आरोपियों ने आवेदकों सहित चार घायल व्यक्तियों, अर्थात् शिव लखन वर्मा, संदेश मौर्य, लालबाबू मौर्य, गुड़िया मौर्य को धारदार हथियार से चोट पहुंचाई है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदकों ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 17.12.2025 से जेल में बंद हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदकों का नाम एफआईआर में है, लेकिन घायल व्यक्तियों को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदकों की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका न तो एफआईआर में और न ही घायल व्यक्तियों के बयान में बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल व्यक्तियों ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में सह-आरोपी अवनीश शर्मा को गंभीर चोट/तेज धार वाले हथियार से चोट पहुंचाने की भूमिका बताई है, जबकि आवेदकों को केवल घायलों को पकड़ने की भूमिका बताई गई है। यह तर्क दिया गया है कि इसी तरह की भूमिका निभाने वाले सह-आरोपी रमेश शर्मा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2026 को आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आवेदन संख्या 7016/2026। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। निवेदन यह है कि मुकदमे की सुनवाई में काफी समय

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



लगेगा और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उनके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदकों की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वे किसी भी प्रकार की रियायत के पात्र नहीं हैं। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे।

6. उपर्युक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह देखते हुए कि यद्यपि आवेदकों का नाम एफआईआर में है, लेकिन घायल व्यक्तियों को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदकों की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका न तो एफआईआर में और न ही घायल व्यक्तियों के बयान में बताई गई है, घायल व्यक्तियों ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयानों में सह-आरोपी अवनीश शर्मा को गंभीर चोट/तीरयुक्त हथियार से चोट पहुँचाने की भूमिका स्वीकार की है, जबकि आवेदकों को केवल घायलों को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है विद्वान ए.जी.ए. की जानकारी के अनुसार, इस मामले में आरोपपत्र 05.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने/दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है और मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) लॉ सूट 677 मामले में पैराग्राफ संख्या 53 पर विचार करते हुए, संघ भारत बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर, और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51 में सर्वोच्च**

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को धमकाएंगे।
- (ii) आवेदक यह वचन देंगे कि वे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेंगे।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
- (iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेंगे: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) अभियुक्त का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना, ताकि उनके विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द की जा सकती है।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

20 मार्च, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”